

पत्रावली वाला बिल प्रार्थना पत्र क्रि. (9.6.24)
को पेश होने।

Dr
(Reader)

19.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ती उपरिख्यत।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बिल
सुनी गयी। वादग्रस्त भूमि प्राप्तीया की
आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुबिधा
एवं संतुलन की दृष्टि से प्राप्तीया के
पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मॉके की
स्थिति में परिवर्तन किए जाने पर वाद
विविधता बढ़ेगी तथा प्राप्ती को अपूरणीय
क्षति होगी।

अतः आस्थापी निषेधाज्ञा जारी कर
अप्राप्तीगण को पाबंद किया जाता है
कि मूल वाद के फैसले तक मॉजा वांछा
में खाता सं. 140, ख. सं. 319, 320, 323,
324, 468, 469, 470, 471, 474, 567, 826,
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 854 खेत कितना 20 कुल रकबा 3.9903
है. भूमि में आतिक्रमण, निर्माण न तो
स्वयं करे न अन्य किसी से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
सी. गंगा

प्राप्ति को भारत में रजिस्ट्रार पैदा न करें न
अन्य किसी व्यक्ति को करावे। रिपोर्ट व
माँके की रिपोर्ट बनाए रखें।

पनाबली में मूल वाद के फैसले
तक अनार्र्यार निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
पनाबली फैसले शूमार होकर अलग मूल
वाद रहे।

R

अपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

ले